A few among them are: Hall of Fame by the American Society of Travel Agents; Man of the World by the International Hotels Association, New York; and Order of the Republic—First Class conferred by the President of Egypt.

In the passing away of Shri Oberoi, the country has lost a pioneer in the field of hotel industry, and a dynamic personality.

We deeply mourn the passing away of Shri K.P. Subramania Menon and Shri Mohan Singh Oberoi.

I request Members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed.

*(Hon. Members then stood in silence for one minute)*

MR. CHAIRMAN: Secretary-General will convey to the members of bereaved families our sense of profound sorrow and deep sympathy.

---

## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

### Question No. 561

[The questioner (Shri Vijay Singh Yadav) was absent. For answer *vide* page 37 infra]

### Quality of programmes and advertisements

*562. DR. C. NARAYANA REDDY: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether there is any mechanism to monitor the quality of programmes and advertisements in Cable TV channels inview of entry of foreign channels;

(b) if so, the details of the mechanism; and

(c) the guidelines evolved by it?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ) : (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

### Statement

The programmes and advertisements telecast on satellite channels, when distributed through cable network, are required to subscribe to the Programme and Advertisement Codes laid down in the Cable Television networks (Regulation) Act, 1995 and the Rules framed thereunder, which *inter-alia* prohibit transmission of any programme or advertisement containing anything which offends against good taste or decency, is obscene or incites or glorifies violence

etc. In case of violation of the provisions of the Act and Rules, action is required to be taken by the authorised officers *viz.* the District Magistrates, Sub-Divisional Magistrates, Commissioners of Police and such other officers as are notified by the Central/State Governments. The Central Government can also take action on complaints, under Section 20 of the Cable Act, to regulate and prohibit the transmission and retransmission of any programme, not in conformity with the Programme Code and Advertisement Code.

DR. C. NARAYANA REDDY: Mr. Chairman, Sir, while appreciating the role of the hon. Minister in giving a new direction to the Ministry of Information and Broadcasting, especially, to the Cable TV set-up, I would like to know, so far, whether anyone has been proceeded against for violation of these provisions.

श्रीमती सुषमा स्वराज: जी हां, सभापति महोदय, मैंने जिस केबल एक्ट का अपने लिखित उत्तर में जिक्र किया है, उस की दो धाराएं हैं—एक धारा 19 है और एक धारा 20 है। धारा 19 के तहत राज्य सरकारों को हम लोगों ने अधिकार दिया है कि वह जिस किसी चैनल को या जिस किसी केबल ऑपरेटर के माध्यम से इस तरह की चीज देखते हैं जो कि राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा है या अश्लील है या आबसीन है, तो उसके खिलाफ वे एक्शन ले सकते हैं और धारा 20 के तहत स्वयं केन्द्र सरकार के पास यह अधिकार है। सभापति महोदय, धारा 19 का इस्तेमाल उस समय हुआ था जब कि कारगिल युद्ध के समय पी०टी०वी० को बैन किया गया था। उस समय केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से यह कहा था कि जिस तरह का दुष्प्रचार पी०टी०वी० के द्वारा किया जा रहा है, वे धारा 19 के तहत उसके खिलाफ एक्शन लें और वह कार्यवाही की गयी थी। इसीलिए 2 जून, 99 से लेकर 21 अक्तूबर, 99 तक राज्य सरकारों ने पी०टी०वी० पर पाबंदी लगायी थी। सभापति महोदय, धारा 20 का इस्तेमाल भी केन्द्र सरकार ने स्वयं किया था। महोदय, टी०वी० 6 के नाम से एक चैनल आता था जिसे कुछ केबल ऑपरेटर्स दिखाते थे और वह हमारी दृष्टि से केवल पोर्नोग्राफिक चैनल की संज्ञा में आता था। तो धारा 20 के तहत कार्यवाही करके केन्द्र सरकार ने उस चैनल पर पाबंदी लगायी थी।

DR. C. NARAYANA REDDY: My second supplementary is also related to this. The Government has already introduced the Communications Convergence Bill to tackle this issue. Sir, does the Bill provide for any mechanism to monitor the quality of programmes? Does the Government agree that any delay in the matter will harm the interests of the people, particularly, the younger generation? Does the Government propose to replace the Cable Act with the Convergence Bill?

Now, I will present the technical aspect of the Convergence Bill for your consideration. Will the Government ensure that the TV channel programmes comply with the international programmes like, the Digital Video

Broadcasting (DVB), the Digital Audio-Vidual Council (DAVIS), the Digital Video Broadcasting Return Channel for Cable (DVBRCCL), the Multi-Cable North-American Service (MCNS) and, finally, the Data Over Cable Specification Internet Service (DOCSIS), etc? Will the mechanism ensure value-based content?

**श्रीमती सुषमा स्वराज:** सभापति जी, माननीय सदस्य ने दूसरे पूरक प्रश्न में चार अलग-अलग सवाल पूछे हैं और मैं उन चारों का यथा-शक्ति उत्तर देना चाहूंगी। पहले उन्होंने कहा कि कनवर्जेन्स कमीशन बिल में क्या मैकेनिज्म है जिससे कि कंटेंट को रेगुलेट किया जा सके? महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगी कि बाकायदा उसमें प्रावधान ही नहीं है बल्कि एक अलग कंटेंट पैनल का प्रावधान हमने किया है क्योंकि कंटेंट देखने वाले लोग और कैरेज देखने वाले लोग अलग किस्म के होते हैं। कंटेंट देखने वाले लोग साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े हुए लोग होने चाहिए। इसलिए कनवर्जेंस कम्युनिकेशन बिल में पहले हमने चाहा था कि कंटेंट इससे बाहर रहे और अलग एक मीडिया काउंसिल जैसी चीज उसे देखे, लेकिन जब यह बात बनी कि एक ही कमीशन होना चाहिए क्योंकि रेगुलेटरी अथॉरिटीज अलग-अलग होती हैं तो बहुत ओवरलैपिंग हो जाती है और अगर कैरेज व कंटेंट एक ही के पास रहेगा और अगर उसको रोकना होगा तो बहुत इफेक्टिवली और प्रभावी तरीके से वह रोक सकेंगे। इसलिए हमने उस समय यह प्रावधान करवाया कि एक कंटेंट पैनल होगा जो अलग से कंटेंट को देखेगा, उस रेगुलेशन को करेगा। इसलिए बिल्कुल अलग से आपकी चिंता का समाधान उसमें किया गया है।

दूसरा सवाल आपने पूछा कि क्यों नहीं केबल एक्ट को हम ओवर-राइड करवा दें कम्युनिकेशन कनवर्जेंस बिल से और फिर आपने कहा कि डिले तो नहीं हो जाएगा? महोदय, जहां तक डिले का सवाल है, सरकार के पार्ट पर कोई डिले नहीं है। सरकार कम्युनिकेशन कनवर्जेंस बिल को प्रस्तुत कर चुकी है, इंट्रोड्यूस कर चुकी है। यह बिल अब संसद की स्थायी समिति के पास है जो आई॰ टी॰ मिनिस्ट्री की स्थाई समिति है। आई॰ एंड बी॰ मिनिस्ट्री उसी के नीचे आती है और जब भी स्थाई समिति इसको अपनी अनुशंसाओं के साथ वापिस कर देगी, सरकार इस पर बहस कराकर उसे पारित कराएगी, लेकिन हमारी ओर से कोई डिले नहीं है। महोदय, तीसरे उन्होंने कहा कि केबल एक्ट, कम्युनिकेशन कनवर्जेंस बिल को ओवर-राइड न कर दे, हम ऐसा प्रावधान क्यों नहीं कर देते? मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद महोदय को और सदन को बताना चाहूंगी कि अभी केबल एक्ट के अंदर एक संशोधन हम कंडीशनल एक्सेस सिस्टम के माध्यम से प्रस्तावित कर रहे हैं क्योंकि अंकुश जब लगेगा और कम्युनिकेशन कनवर्जेंस बिल का रेगुलेशन जब होगा तब तो होगा। जब भी संसद की स्थायी समिति से वह बिल आएगा। इसमें कंडीशनल एक्सेस सिस्टम का एक और प्रोवीजन करना है—रेगुलेशन बाई व्यूअर्स चॉयस, कि हम कम से कम व्यूअर्स को, दर्शक को यह च्वॉयस दे दें कि वह क्या देखना चाहता है और जो वह देखना चाहे वह केवल उसी का पैसा दे। इस कंडीशनल एक्सेस सिस्टम का संशोधन केबल एक्ट में किया जा सकता है। मेरी

कोशिश यही है कि इसी सत्र के दौरान, सत्र समाप्ति से पहले-पहले वह बिल मैं यहां प्रस्तुत कर दूं और आप सबके सहयोग से, खासतौर से मैं नारायण रेड्डी जी से कहना चाहूंगी कि वह भी जरूर सभी सांसदों को कहें कि वे इस बिल को पास कराने में हमारी सहायता करें। तो केबल एक्ट के अंदर जो संशोधन किया जाना है उसको तो मैं इसी सत्र में लाने की कोशिश करूंगी। चौथी बात उन्होंने जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की की और उसके बारे में कई उदाहरण दिए, उनसे मैं कहना चाहूंगी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से भी ज्यादा रेस्ट्रक्टेड हमारी चीजें हैं क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रोवीजन के मुताबिक कहीं ज्यादा कन्जरवेटिव माने जाते हैं। हमारा जो अपना प्रोग्राम कोड है, हमारा एडवर्टाइजमेंट कोड है, वह इंटरनेशनल स्टैण्डर्ड से भी ज्यादा रेस्ट्रक्टेड है और हमने इन तमाम चीजों को सामने रखकर अपना कोड बनाया है। वह प्रोग्राम कोड और एडवर्टाइजमेंट कोड हमारे कार्यक्रमों की गुणवत्ता देखता है।

**श्री बालकवि बैरागी:** सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि मैंने आपके ध्यान में पहले भी यह लाने की कोशिश की है, केबल ऑपरेटर्स को लेकर हर शहर में कोई न कोई समस्याएं पैदा हो रही हैं, आप उसके बारे में अवगत भी हैं आपका ध्यान भी है। अभी गत मास भोपाल में केबल ऑपरेटर्स के बीच में इतना जबरदस्त युद्ध हुआ कि एक ऑपरेटर ने दूसरे ऑपरेटर की केबल लाइन चालीस-चालीस, पचास-पचास फीट काटकर गटर में फैंक दी और उससे सारे शहर में पूरा सिस्टम कुलेप्स हो गया, जिसका असर व्यूअर्स पर पड़ा, आपकी प्रतिष्ठा पर पड़ा और हमारी प्रतिष्ठा पर पड़ा, सब पर पड़ा। अभी ताजा समाचार यह है कि जो कुछ प्रावधान आप लाना चाहती हैं, उनको समूचा उलट देने के लिए या उनको स्थगित करने के लिए विदेशी निवेश वाले विदेशी केबल के लोग हमारे यहां डेरा डाले हुए पड़े हैं और वह यह कोशिश कर रहे हैं कि जो बिल आप लाना चाहती हैं या इस सदन में सरकार लाना चाहती है, उसमें कुछ न कुछ उनका दखल शामिल हो जाए। यह आज सबेरे की सूचना मैं आपको दे रहा हूं, जो ताजा सूचना है। क्या आप इस बारे में विशेष तौर से अवगत है? क्या आप इस बारे में चौकन्ना होकर देख रही हैं कि भारत के हितों को इससे कोई ठेस न लगे। क्या इस दिशा में आप प्रयत्नशील हैं? मैं इस बारे में आपसे स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं।

**श्रीमती सुषमा स्वराज:** सभापति जी, जो माननीय सांसद ने कहा, पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि जिस केबल ऑपरेटर की समस्या की बात इन्होंने कही है, उससे हम खुद अवगत हैं। यह समस्या तितरफा है। केबल ऑपरेटर उपभोक्ता से पैसा चाहता है, इसलिए वह पैसा बढ़ाता है। जब कन्ज्यूमर उसकी शिकायत करता है तो केबल आपरेटर कहता है.....(**व्यवधान**) . . .

**श्री बालकवि बैरागी:** इस महीने केबल आपरेटर ने मुझे पांच सौ रुपए का नोटिस दे दिया है।

**श्रीमती सुषमा स्वराज:** मैंने आपसे यही कहा कि यह तितरफा समस्या है। केबल ऑपरेटर यह कहता है कि एम०एस०ओ० अपने चैनल का पैसा बढ़ाते जा रहे हैं, मैं अपनी जेब से क्यों दूं, मुझे

उपभोक्ता से लेना पड़ेगा और एम०एस०ओ० कहते हैं कि केबल आपरेटर अंडर रिपोर्टिंग करते हैं, उनके पास सब्सक्राइबर बेस ज्यादा हैं और वह कम बताते हैं, इसलिए हम क्या करें, हमको करना पड़ता है। इन तीनों समस्याओं का एक-बारगी समाधान करने के लिए यह कंडीशनल एक्सेस सिस्टम इंट्रोड्यूस करने का फैसला सरकार ने किया है। आप तो स्वयं सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं और आपने देखा है कि इस पूरी समस्या का समाधान करने के लिए हमने एक टास्क-फोर्स बनाया है। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि उस टास्क-फोर्स ने अपना काम पूरा किया, अपनी अनुशंसाएं हमें दीं और वह अनुशंसाएं हमने सलाहकार समिति के सामने भी रख दी हैं। जैसा मैंने नारायण रेड्डी जी के सवाल के जवाब में भी कहा है, मैं बिल प्रस्तुत करना चाह रही हूं और यह इसी सत्र में आ जाए इसकी मैं कोशिश में लगी हूं। जहां तक उनकी आशंकाओं का सवाल है कि कुछ विदेशी लोग यह चाह रहे हैं कि यह बिल न आए, तो बैरागी जी, मैं आपको एक बात का आश्वासन दे सकती हूं और सभापति जी, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को दे सकती हूं, कि यह सरकार किसी के दबाव में काम नहीं करती। यह विदेशी चैनलों के दबाव की बात तो आज ही आई है। अगर इतने दिनों से कंडीशनल एक्सेस सिस्टम का टास्क-फोर्स बनी थी, वह काम कर रही थी, उसकी अनुशंसाएं आ गईं, जो कंसल्टेटिव कमेटी में गईं और कैबिनेट में ड्राफ्ट बनाने तक हम पहुंचे हैं, उस समय तक तो कोई दबाव नहीं था। अगर किसी के हित को इससे आघात पहुंचता है तो वह दबाव तो बहुत पहले से बनाया गया होगा, लेकिन अगर आज तक हम दबाव में नहीं झुके तो बिल लाते समय मैं दबाव में झुकूंगी और बिल लेकर नहीं आऊंगी, ऐसी कोई शंका रखने का सवाल नहीं है। हम निश्चित तौर से जरूर प्रस्ताव करेंगे बल्कि मैं तो सारे सदस्यों से यह सहायता चाहूंगी कि जब मैं बिल लेकर आऊं तो उस बिल को आप पास कराने का काम करें ताकि इस तितरफा समस्या का समाधान हम उस बिल के माध्यम से कर सकें।

SHRI DINESH TRIVEDI: Hon. Chairman, Sir, my question is going to be very focused, and it is on advertisement. First of all, I would like to compliment the hon. Minister and the Government for bringing the Communication Convergence Bill. My specific question, Mr. Chairman, Sir, is on the three aspects of advertisement. I am sure, the hon. Members will agree with me that there has been too much of vulgarity in the advertisements. This is one thing. The second thing is that there has been too much use of children in the advertisement of various products, and the third thing is related to the surrogated advertisements. For example, take the advertisement of Wills. When you talk about Wills, immediately, the thing which comes to your mind, is cigarette. I will give you a very specific example. They have not even left our national leaders and the movement. I am talking about an advertisement which goes by the name of *Dandi Namak*. Sir, they are even mentioning that iodised *namak* is very good for brain and for the development of children's brain, which, I am not very sure, whether it is a correct thing or not. The second thing is that they have also put up the picture

of Gandhiji on that, symbolising the *Dandi Kooch*. I am certain there is a court, there is a law, the National Symbols Act or something like that, which looks after all these types of things. I would like to ask the hon. Minister whether her attention has been drawn to all these areas. If so, what is she doing about it?

**श्रीमती सुषमा स्वराज:** सभापति जी, माननीय सांसद महोदय ने यह कहा है कि क्या मेरा ध्यान ऐसे विज्ञापनों की तरफ दिलाया गया है या नहीं जो अश्लील होते हैं, जिनमें बच्चों का दुरुपयोग होता है या नेशनल सिम्बल्स का दुरुपयोग होता है, मैं कहना चाहती हूं कि निश्चित तौर पर मेरा ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया है और मैं स्वयं भी जब इन चीजों को देखती हूं तो उनका सु-मोटो नोटिस भी लेती हूं।

सभापति जी, सबसे पहले तो मैं यह बता दूं कि जैसे हमारे यहां प्रोग्राम कोड है, उसी तरह से एक ऐडवरटाइज़मेंट कोड भी हमारे यहां है जिसमें कैसे-कैसे विज्ञापन दिए जाने हैं, इस बारे में बाकायदा लिखित दिशा-निर्देश हैं जिनका पालन हर ऐडवरटाइज़र को करना पड़ता है। लेकिन जब उसकी शिकायतें आती हैं तो उसके दो मेकेनिज्म हैं। एक तो ऐडवरटाइज़र्स की सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी है–'आस्की', जहां पर लोग शिकायत करते हैं और 'आसकी' अपनी तईं भी उसका नोटिस लेती है और तय करती है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि केबल एक्ट की धारा 20 के तहत हमने एक कमेटी बना रखी है तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव उसके संयोजक हैं और बाकी अन्य मंत्रालयों के संयुक्त सचिव उसके मंत्री हैं। जब भी कोई ऐसी शिकायत मेरे पास आती है, मैं उसे उस कमेटी को भेजती हूं और वह कमेटी उस पर निर्णय करती है। यहां श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल जी अभी बैठे नहीं हैं, जैसे अभी श्री दिनेश त्रिवेदी जी ने 'दांडी नमक' की बात की है, वैसे ही एक ऐडवरटाइज़मेंट की तरफ श्री सिंहल ने अपने पत्र के माध्यम से मेरा ध्यान दिलाया था जिसमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को हाथ मिलाते हुए दिखाते हैं और कहते हैं कि यह रिश्ता कम मज़बूत हो सकता है, 'कामधेनु सरिया' इससे ज्यादा मज़बूत है। अपने प्रधान मंत्री को ऐडवरटाइज़मेंट में आप यूज़ करें, पड़ोसी देश के राष्ट्रपति को यूज़ करें और उनको हाथ मिलाते हुए दिखाकर आप सरिया बेचें, यह तो ठीक नहीं है। जैसे ही श्री सिंहल का पत्र आया, वैसे ही उसे भी मैंने उस कमेटी को भेजा। यह तो एक उदाहरण मैंने आपको दिया, ऐसे बीसियों उदाहरण आते हैं और आपने देखा होगा कि कई बार तो सु-मोटो फैसले लेकर हम लोगों ने ऐसे ऐडवरटाइज़मेंट्स को ऑफ भी किया है।

एक बात आपने सरोगेट ऐडवरटाज़मेंट की कही, यह बहुत ही वाज़िब बात है। मैं आपको बता दूं कि हमने सरागेट ऐडवरटाइज़मेंट को भी डिफाइन किया है। सरागेट ऐडवरटाइज़मेंट की डेफिनेशन देते हुए हमने यह कहा कि अगर लिकर या टोबेको ब्रांड से आप एक और चीज़ भी बनाते हैं, ब्रांड वही है लेकिन अगर आप उसकी भी मार्किटिंग करते हैं और सब्सटेंशियल बिज़नेस करते हैं, तो वह सरोगेट नहीं है। लेकिन अगर आप कोई चीज़ बनाते ही नहीं हैं केवल अपने लिकर या टोबेको की चीज़ को याद कराने के लिए आप अगर 'मैक डॉवेल बैग' दिखाते हैं तो इसका मतलब है कि आप

लिकर दिखाना चाह रहे हैं, इसी तरह से यदि आप दिखाते 'विल्स टी शर्ट, जबकि आप टी शर्ट बनाते नहीं, बनाते हैं, सिगरेट, तो वह सरोगेट है। सब्सटेंशियल बिज़नेस अगर आप नहीं करते तो वह ऐड सरोगेट ऐड है, आप दिखा कुछ रहे हैं, लेकिन अपने ब्रांड को याद करा रहे हैं। तो सरोगेट को बाकायदा डिफाइन कर दिया गया है और अब एक कमेटी, कोई सब्सटेंशियल बिजनेस है या नहीं, इसको देखने के लिए भी हम लोगों ने स्थापित कर दी है। उस कमेटी के सामने जब इस तरह की कोई शिकायत जाती है तो वह देखती है बुलाकर कि वाकई वह सब्सटेंशियल बिजनेस की परिधि में आती है या नहीं अगर सब्सटेंशियल बिज़नेस लोग बैंक से करते हैं तो हम उसकी इजाज़त देते हैं, अगर वह उससे नहीं करते तो उसको सरोगेट मानते हैं क्योंकि केबल एक्ट में यह है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप प्रमोट नहीं करेंगे न लिकर को, न टोबेको को और जो ऐसा करते है, उनके खिलाफ एक्शन होता है।

**श्री दिनेश त्रिवेदी** : 'दांडी' और 'विल्स' कब से चल रहे हैं, कुछ उनके बारे में होगा या नहीं होगा?

**श्रीमती सुषमा स्वराज**: मैंने आपसे कहा कि जैसे ही कोई शिकायत आती है, हम उसको भेज देते हैं। आज आप ही की शिकायत को हम लोग ले लेंगे उस कमेटी में। जैसे सुप्रीम कोर्ट पी॰ आई॰ एल॰ मान लेता है, चिट्ठी को पेटिशन मान लेता है, आपकी भावना को ही हम एक पेटिशन मान लेंगे और उसको कमेटी के सामने रखेंगे।

**श्री दिनेश त्रिवेदी**: धन्यवाद, मंत्री महोदया।

श्री राजनाथ सिंह ''सूर्य'': सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने श्री त्रिवेदी जी के सवाल के उत्तर में बहुत सी बातें स्पष्ट की हैं जिन्हें मैं जानना चाहता था। उन्होंने अभी पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए जो बात कही है, मैं उसकी ओर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए अपना सवाल पूछना चाहता हूं। आपने कहा है कि जब शिकायत आती है, तब हम उस पर कार्यवाही करते हैं। इसके लिए आपने अपने उत्तर में उल्लेख किया है कि–In case of violation of the provisions of the Act and rules, action is required to be taken by the authorised officers. आपने बता दिया है कि कौन-कौन ऑफिसर ऐक्शन ले सकेगा। आम-तौर पर यह होता है कि हम इन चीजों को देखते हैं, हम यह भी देखते हैं कि सोडा के नाम पर व्हिस्की का विज्ञापन हो रहा है, दूसरी चीजों का हो रहा है और फिर हम भूल जाते हैं आम आदमी शिकायत बहुत कम करता है। क्या आपकी मिनिस्ट्री में कोई ऐसी मशीनरी है जो इसे स्वत: मॉनीटर करती हो और इसके बाद इस प्रकार के जो विज्ञापन आते हैं, जहां नियमों का उल्लंघन होता है, वहां आप स्वयं कार्यवाही करते हो, क्या इस प्रकार का कोई प्रबंध है, यदि है, तो वह प्रबंध कितना इफेक्टिव है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि पिछले एक साल के भीतर कितने ऐसे मामलों में आपकी मिनिस्ट्री ने स्वयं अपनी ओर से इन चीजों को नोटिस किया और उनका निस्तारण किया?

**श्रीमती सुषमा स्वराज:** सभापति जी, मैंने यह बिल्कुल नहीं कहा है कि केवल शिकायत के आधार पर हम काम करते हैं। मैंने दो बार ''सुओ-मोटो'' शब्द का इस्तेमाल किया। ''सुओ-मोटो'' का मतलब होता है स्वयं नोटिस लेकर। तो मैंने यह कहा कि शिकायत तो आती ही है लेकिन सुओ-मोटो भी हम इसका नोटिस लेते हैं। उन्होंने पूछा कि पिछले एक वर्ष में हमने कितने सुओ-मोटो केसेज़ का नोटिस लिया है, आपको याद होगा कि जिस समय मैंने इस विभाग का कार्य-भार संभाला था, उस समय मैंने 2 विज्ञापनों का सुओ-मोटो नोटिस लिया था। एक विज्ञापन था क्लोज़-अप का जिसमें एक जेलर पुलिस ऑफिसर दिखाई जाती थी जो अपराधी से आकर पूछती थी कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है? वह कहता था कि मेरी आखिरी इच्छा आपकी किस करने की है। वह टोपी उतारती थी और इस तरह से दिखाया जाता था कि जैसे वह उसकी अंतिम इच्छा पूरी करती है। एक यूनीफार्म्ड ऑफिसर को इस तरह से डिग्रेड करके दिखाना, इसका मैंने सुओ-मोटो नोअिस लिया था और उस विज्ञापन का प्रसारण बंद करवा दिया था। इसी तरह से एक ऑटोमोबाइल टू-व्हीलर का विज्ञापन आता था जिसमें एक महिला दिखाते थे, उसके जैस्चर्स और पोस्चर्ज बहुत सजेस्टिव दिखाए जाते थे। उस विज्ञापन का भी मैंने सुओ-मोटो नोटिस लिया था और उसका प्रसारण बंद करवाया था।

सभापति जी, मैं यह कहना चाहती हूं कि हम केवल शिकायत के मोहताज़ नहीं हैं, हम सुओ-मोटो नोटिस भी लेते हैं और जैसा कि मैंने बताया कि सांसद लोग भी नोटिस लेते हैं। सिंहल जी, आप उस समय उपस्थित नहीं थे, मैंने बताया कि आपने मुझे कामधेनु सरिया के बारे में चिट्ठी लिखी थी। जैसे ही आपकी चिट्ठी मुझे मिली, मैंने तुरंत उसे कमेटी को भेज दिया। इस तरह हम सभी लोग अपनी-अपनी जगह प्रहरी बनकर उसको देख रहे हैं और मुझे लगता है कि जितना ज्यादा सांसद लोग इसमें प्रहरी की भूमिका निभाएंगे, उतनी ही ज्यादा शिकायतें भी आएंगी, लेकिन सुओ-मोटो नोटिस भी हम लेते हैं।

**प्रो॰ रामगोपाल यादव:** सभापति महोदय, दुनिया के बहुत बड़े विद्वानों का यह मानना है कि वे सभ्यताएं नष्ट हो गईं जिनमें दो चीजें बढ़ीं—न्यूडिटी और ऐलकोहलिज्म। आज हमारे यहां विज्ञापनों से लेकर टी॰ वी॰ चेनल्स में जो प्रोग्राम आ रहे हैं, उनमें इन दो चीजों का चलन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह जो फैशन चैनल है, क्या इसमें न्यूडिटी के अलावा कुछ और है? क्या इस पर सुओ-मोटो ऐक्शन लेकर इसे बन्द नहीं किया जा सकता? अब तो समाचार देखना भी मुश्किल हो गया है। परिवार में बच्चों के साथ बैठकर आप न्यूज नहीं देख सकते क्योंकि आज तक चैनल में भी न्यूज़ देखते-देखते कभी-कभी ऐसे विज्ञापन आ जाते हैं जिनमें महिलाएं अपने बदन पर नाम-मात्र के वस्त्र पहने रहती हैं। एक बार पहले भी मैंने यह मामला स्पैशल मैंशन के जरिए राज्य सभा में उठाया था और तत्कालीन मंत्री महोदय ने कहा था कि हम इस पर रोक लगाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए और पूरा सदन इससे सहमत था। कई स्पैसिफिक केसेज़ में आपने ऐक्शन लिया है लेकिन आज भी कई चैनल्स ऐसे हैं जिनको बंद कर दिया जाना चाहिए, जो हमारी सभ्यता और संस्कृति से कतई मेल नहीं खाते। हां इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से वे अवश्य

मेल खा सकते हैं लेकिन हिन्दुस्तानी कल्चर से वे बिल्कुल मेल नहीं खाते। इस तरह के जो प्रोग्राम बन रहे हैं वे हमारी सभ्यता और संस्कृति के विपरीत जा रहे हैं। इनके माध्यम से जो नंगापन आ रहा है, जो ऐलकोहलिज्म बढ़ रहा है, क्या माननीय मंत्री महोदया सदन को आश्वासन देंगी कि इस तरह के कार्यक्रमों पर रोक लगायी जाएगी? आज कोई भी कार्यक्रम गरीब की झोंपड़ी पर नहीं बन रहा है। सारे कार्यक्रम ऐसे हैं जो बहुत बढ़िया शानदार मकानों में बनते हैं तथा कभी दिल्ली के दो मकानों में बना लिए। कोई ऐसा पात्र नहीं जो हिन्दुस्तान की बैकग्राउंड या रूरल बैकग्राउंड से भी जुड़ा हुआ हो। सारे मुख्य पात्र उसी तरह के हैं, सब उस तरह के हैं। कहीं भी कोई हिन्दुस्तान की जो आम तहज़ीब व संस्कृति है, उससे जुड़ने वाला कार्यक्रम तक़ नहीं बन रहा है। क्या इसकी तरफ ध्यान देंगी माननीया मंत्री जी?

**श्रीमती सुषमा स्वराज:** सभापति महोदय, ध्यान दूंगी नहीं ध्यान दे रही हूं और बहुत बार आलोचना का भी केन्द्र बनती हूं इसी कारण से। क्योंकि जो बात भाई रामगोपाल जी ने कही, जब भी उस तरह का कोई एक्शन लेती हूं तो बहुत बार बहुत से सम्पादकीय भी मेरे खिलाफ आते हैं, लोग भी अलग-अलग तरह की बात बोलते हैं। लेकिन मैं उससे विचलित नहीं होती हूं, इसलिए मैं अपने पथ पर आगे बढ़ती जा रही हूं। जहां तक चैनल पर पाबंदी लगाने का सवाल है, अगर पूरा सदन तय करता है कि एफ-टी॰वी॰ पर पाबंदी लगा देनी चाहिए तो हम लोग कल लगा देंगे क्योंकि सरकार असहाय नहीं है। लेकिन मैं इतना कह सकती हूं कि मैं किसी भी चीज की अनदेखी नहीं करती। एफ-टी॰वी॰ में जिस समय एक रिओकार्निवाल करके बिल्कुल उघाड़ा प्रदर्शन करते हुए उन्होंने एक जुलूस निकालते हुए दिखाया। पिछली बार जब उनके डायरेक्टर आए थे तो मैंने कहा था कि यह नहीं दिखाया जाएगा। उन्होंने नहीं दिखाया था।.....(व्यवधान) मैं बतला रही हूं। जहां तक एफ-टी॰वी॰ का सवाल है, मैंने बाकायदा इसका सात दिन तक मॉनिटरिंग कराया। जिस आश्वासन की बात आप कर रहे हैं, जो आश्वासन मैंने दिया था, उसके बाद मैंने 15 दिन उसकी मॉनिटरिंग कराई। उसकी मॉनिटरिंग टेप उनके डायरेक्टर को भी दिखाई और अपनी कंसलटेटिव कमेटी को भी दिखाई और उनसे कहा कि बताइए मैं क्या करूं? इसको बंद कर दूं या उनके लोगों को बुलाकर बात करूं? यह कहा गया कि उनको बुलाकर बात करिए। मैंने उनको बुलाकर बात की। उनके डायरेक्टर की चिट्ठी मेरे पास मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा कि हम यहां का एक इंडियन पार्टनर लेकर के और उसके साथ और आपके यहां 12 बजे से पहले कोई ऐसी चीज नहीं दिखाएंगे। इसके बाद उन्होंने रिओ-कार्निवाल नहीं दिखाया। इस बार तो उन्होंने रिओ-कार्निवाल दिखाया। मैं आपको बतलाती हूं कि उसी समय हमने जैसे ही देखा टेलीफोन पर बात की और इस बारे में एफ-टी॰वी॰ वालों की चिट्ठी पढ़ कर सुनाना चाहती हूं:

"I was very pleased talking to you yesterday, Following our conversation, please find hereafter our letter of apologies addressed to Her Excellency Shrimati Sushma Swaraj. Again we really regret for this unintentional technical error in broadcasting the Rio-Carnival, 2002 and we express our sincere apologies to her Excellency Shrimati Sushma Swaraj and to her Indian viewers."

तो यह नहीं है कि किसी भी चीज की हम लोग अनदेखी कर रहे हैं या अननोटिस्ड कर रहे हैं। लेकिन यह जरूर है कि किसी हद तक जाना है इसको लेकर दो मत बने रहते हैं देश में और एक संतुलित रास्ता निकालने की बात करते हैं। लेकिन अगर सदन तय करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सरकार असहाय नहीं है। सरकार के हाथ बहुत लम्बे हैं, सरकार के पास हर तरह का अधिकार है। सवाल यह है कि करना कहां तक है इसके बारे में एक राय बनने की आवश्यकता है।

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, under Part-I of my question, I want to know this from the hon. Minister. They have got section 20 of the Cable Television Network (Regulation) Act. This Act is supposed to give a lot of powers to have control. I would like to know whether section 20 of the Cable Television Network (Regulation) Act was amended by the Cable Network (Regulation) Amendment Act, 2002. If so, how is it going to help control nudity, vulgarity and all those things?

Part-II of my question is this, Sir. The hon. Minister has given a reply on 14th March that the Government has constituted a Committee of Officers from the Ministry of I and B, Home, External Affairs and Law to render advice where the Central Government considers advice to be essential and desirable and action to be taken. So, I would also like to know to what extent this Committee is helping and in how many cases it has given solutions on complaints. The question of Dr. Narayana Reddy is about the mechanism we are going to have to control the entire system. I am not really satisfied with the replies to all these questions. What is the exact mechanism we are going to have? Is this Committee really going to have any important role? To what extent the Ministry and Minister will be successful with much more mechanism to see that such complaints do not take place, that nudity and vulgarity are eliminated and the quality of the programmes improved?

**श्रीमती सुषमा स्वराज:** सभापति जी, इस सवाल का कुछ हद तक तो मैंने जवाब नारायण रेड्डी जी के सवाल में दे दिया था लेकिन मैं दोबारा इसको दोहरा देती हूं। रूल्स के सैक्शन-20 जो है उसमें केन्द्र सरकार के पास यह अधिकार है कि वह किसी भी सेटलाइट चैनल को प्रोहिबिट कर सकती है लेकिन यह निर्णय स्वयं मंत्री न करे बल्कि उसके अंदर एप्लीकेशन आफ फाइन हो इसके लिए एक कमेटी हमने उसमें बनाई है इसके लिए उस कमेटी में संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय कंवीनर हैं। उसमें एम० एच० ए० के जे० एस० हैं, उसमें डिफेंस के जे० एस० हैं, उसमें एक्सटर्नल एफेयर्स के जे०एस० हैं और लॉ के० जे० एस० हैं। **श्रीमती सुषमा स्वराज :** ये चार मंत्रालय ऐसे हैं जिनका सीधा-सीधा संबंध इनसे बनता है क्योंकि अगर कोई सवाल सावरंटी आफ इंडिया का आता है, सेक्योरिटी आफ स्टेट के लिए आता है तो उसमें होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल एफेयर्स सीधे-सीधे

जुड़ जाते हैं। लॉ डिपार्टमेंट को इसमें इसलिए रखा जाता है जिससे कि वह उसके लीगल रेमीफिकेशन को देख ले। यह एक कमेटी है जो काम करती है। जैसा मैंने पहले कहा कि जब कमेटी बनी भी नहीं थी, सैक्शन 20 के नीचे टीवी-6 पोर्नोग्राफी चैनल को बंद कर दिया था जो मेक्जिमम इफेक्टिव हुआ। उसी सैक्शन 20 के अंतर्गत हमने उसे बंद किया था। जब से यह कमेटी बनी है तब से जो इस तरह की शिकायतें आती हैं, उनको इस कमेटी के पास भेज दिया जाता है। जैसे कामधेनु सरिया की शिकायत आई तो हमने उस कमेटी को लिख दिया सैक्शन 20 के अनुसार था। मैं एक और उदाहरण बताती हूं कि स्टार चैनल पर एक कार्यक्रम टेम्पीटेशन आइसलैंड आ रहा था। हम ने टेम्पीटेशन आइसलैंड की रिपोर्ट्स पढ़ी और स्टार को चिट्ठी लिखी कि जिस तरह की रिपोर्ट्स हम पढ़ रहे हैं, लगता है कि वह हमारे प्रोग्राम कोड का उल्लंघन हैं। उन्होंने चिट्ठी का जवाब दिया कि हमने उल्लंघन नहीं किया है और इसके आठ एपिसोड हमने प्रसारित कर दिये हैं। हमने कहा कि उल्लंघन नहीं किया यह हम देखेंगे। आप हमें आठों एपिसोड की कैसेट्स भेजिए। हमने आठों प्रोग्राम्स की कैसेट्स मंगाकर इस कमेटी को दी हैं। उस कमेटी के मेम्बर्स रिव्यु कर रहे हैं जो हमको बतायेंगे कि कोड का उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ है। इसीलिए मैंने कहा कि मैकेनिज्म है ही नहीं बल्कि वह प्रभावी है। जो भी इस तरह की शिकायतें आती हैं उनको हम सैक्शन 20 के तहत बनी हुई कमेटी को भेजते हैं। वह फिर हमें जवाब भेजती हैं और फिर उसके ऊपर हम लोग निर्णय लेते हैं यह टेम्पीटेशन आइसलैंड का मसला अभी भी कमेटी के सामने है।

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, The Minister has not answered the first part of my question. The first part of my question was, whether section 20 of the Cable Television network has been amended or not.

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, अमेंडमेंट करके ही उसके अंदर यह चीज डाली गई है कि सेटेलाइट चैनल्स को आप प्रोहिबिट कर सकते हैं। पहले सैक्शन 20 में यह नहीं था। जब यह एक्ट बना था तब से लेकर आज तक सेटेलाइट चैनल्स की जो भरमार हुई है, इसलिए हमने सैक्शन 20 में इसको डाला है। सेटेलाइट चैनल्स को प्रोहिबिट करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमैंट के पास है।

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, there is no question of thinking. The Minister must be very clear and give a clearcut answer. Section 20 of the Act Act, must be amended.

MR. CHAIRMAN: No, no. It is over now. As a matter of fact, there are a number of hon. Members who want to put questions on this issue. They have been raising this issue for the last so many years, and we have suggested to them in the Chamber, to bring a motion and have a Short Duration Discussion on this subject. But, the difficulty is that nobody has pursued this matter.

Minister is interested, the Members are interested, but the discussion is not taking place. So, something should be done to have a Short Duration Discussion on this very important issue. The Minister will agree to the said discussion; time will be allotted for the said discussion and the discussion can take place. We have already taken half-an-hour on this issue. So, I will go to the next question. But, I agree with the hon. Members that it is a very important question, and it should be brought forward here, and we should have a detailed discussion on this issue.

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, we should also agree for Half-an-Hour discussion on the Ananth Kumar's subject.

MR. CHAIRMAN: I am not talking about Half-an-Hour discussion. It is more than Half-an-Hour discussion. The question is that I want a bigger discussion on this subject.

**Functioning of CGHS Dispensaries in Delhi**

*563. PROF. M.M. AGARWAL: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) the number of CGHS dispensaries functioning at present in Delhi;

(b) the details of facilities including Homoeopathy, Ayurvedic, Yoga, etc. being provided in those CGHS dispensaries;

(c) the total number of CGHS beneficiaries in Delhi;

(d) whether there is any proposal to start more CGHS dispensaries in Delhi and improve their functioning; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. C.P. THAKUR): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

*Statement*

(a) and (b) The number of CGHS dispensaries/units functioning under CGHS Delhi are : —

| | | |
|---|---|---|
| Allopathic | — | 87 |
| Ayurvedic dispensaries/ units | 5+8 | 13 |
| Homoeopathic Dispensaries/Units | 3+10 | 13 |
| Unani dispensary/units | 1+3 | 4 |
| Yoga Centres | — | 3 |
| Siddha Unit | — | 1 |